


**न्यायालय- जिला/सत्र न्यायालय होशंगाबाद (म.प्र.)**

**सूचना-पत्र**


माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा जारी एडवाईजरी/निर्देश क्र-345/आर.जी/2020 जबलपुर,दिनांक 17.03.2020 एवं एडवाईजरी दिनांक 20.03.2020 के अनुसार दिनांक 31.03.2020 तक कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण को देखने हुये केवल अत्यन्त आवश्यक प्रकृति के मामलों में जैसे जमानत आवेदन और स्टेट/अस्थाई निषेधाज्ञा संबंधी आवेदन पत्रों की सुनवाई की जाना है। शेष समस्त प्रकरणों को उक्त अवधि में स्थगित रखे जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है जिसके पालन में आज दिनांक 20.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक के लिये नियत समस्त व्यवहार/आपराधिक प्रकरणों को पूर्व प्रक्रम पर ही निम्नानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत किये जा रहें है:-

| सरल क्र. | नियत दिनांक | आगामी नियत दिनांक |
|----------|-------------|-------------------|
| 1        | 20.03.2020  | 15.04.2020        |
| 2        | 23.03.2020  | 16.04.2020        |
| 3        | 24.03.2020  | 17.04.2020        |
| 4        | 26.03.2020  | 20.04.2020        |
| 5        | 27.03.2020  | 21.04.2020        |
| 6        | 30.03.2020  | 22.04.2020        |
| 7        | 31.03.2020  | 23.04.2020        |

  
(चन्द्रेश कुमार खरे)  
जिला/सत्र न्यायाधीश  
होशंगाबाद(म.प्र.)

**प्रतिलिपि:-**

- 1- अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- अधीक्षक केन्द्रीय जेल होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि वे उक्त कॉलम नम्बर-2 में वर्णित पेशी दिनांको के वारंट/ अभियुक्त को कॉलम नम्बर-3 में वर्णित नियत दिनांको को न्यायालय में पेश करें।
- 3- सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय होशंगाबाद की ओर उक्त सूचना-पत्र को न्यायालय की बैवसाइट पर अपलोड करने बावत् प्रेषित।
- 4- न्यायालय के सूचना-पटल पर चरपा हेतु।

  
(चन्द्रेश कुमार खरे)  
जिला/सत्र न्यायाधीश  
होशंगाबाद(म.प्र.)